

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2197/2022

1. Ajit Pal S/o Late Shri Ramavtar, Aged About 18 Years,
2. Kumkum @ Manju D/o Late Shri Ramavtar, Aged About 12 Years, Minor Through Her Natural Guardian Her Mother Chanrawati,
Both R/o Village Mahila, Police Station Rajakhera, District Dholpur.

----Claimants/Appellants

Versus

1. United India Insurance Company Limited, Through Its Branch Manager, Branch Office, Dhoolkot Road, Dholpur, District Dholpur (Rajasthan) (Insurance Company Of Vehicle)
2. Sanjay Singh S/o Shri Bacchu Singh, Aged about 38 Years, Resident Of Purana Shahar, Near Town Chowki, Police Station Kotwali, Dholpur, District Dholpur (Rajasthan) (Owner Of Vehicle)

----Non Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Dinesh Kumar Garg, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Ajay Kumar Tanenia, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

01/05/2026

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-32/2020, अजीतपाल व अन्य बनाम यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2022 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में अजीतपाल के आहत हो जाने के फलस्वरूप **9,50,000 /— रुपये** तथा कुमकुम उर्फ मंजू के आहत हो जाने के फलस्वरूप **3,50,000 /— रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अजीतपाल को **कुल 1,29,800 /— रुपये** तथा कुमकुम उर्फ मंजू को **कुल 48,320 /— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय **ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार अपीलार्थीगण अजीतपाल व कुमकुम उर्फ मंजू को एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अजीतपाल 16 वर्ष व कुमकुम उर्फ मंजू 10 वर्ष के बालक थे, जिन्हें कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उनकी मासिक आय की गणना अपेक्षित थी। दुर्घटना में अपीलार्थीगण के शरीर पर कई गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से अजीतपाल के शरीर पर कुल 45 प्रतिशत तथा कुमकुम उर्फ मंजू के शरीर पर कुल 15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है व अन्य मदों में भी कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थीगण को कारित हुई साधारण व गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी अजीतपाल के शरीर पर कुल 45 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-29 के अवलोकन से स्पष्ट है तथा अपीलार्थिया कुमकुम उर्फ मंजू के शरीर पर कुल 15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-30 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap Son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

“12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained “just compensation” in the following words:

15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a “just compensation”. It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of “just compensation” obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the

part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

अपीलार्थी अजीतपाल की हद तक:—

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.05.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी अजीतपाल को 9वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा होकर 16 वर्ष की आयु का बालक होना बताया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा विद्वान अधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांकित 15.04.2021 के अनुसरण में स्थायी निर्योग्यता 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम होने पर 25,000 /— रुपये एकमुश्त तथा 5,000 /— रुपये प्रति एक प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर निर्धारित करते हुए भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में कुल 1,29,800 /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है। किंतु मोटर वाहन दुर्घटना के उन मामलों में जहां बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती हो या वह आहत हो जाता हो, वहां उस बालक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किये जाने की सुस्थापित विधि है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Hitesh Nagjibhai Patel Patel Vs. Bababhai Nagjibhai**

Rabari & Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Our of

SLP (C) No. 14444/2025) में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation

because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in ***Kajal v. Jagdish Chand and Ors.3***, and ***Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.4***.

14. As can be seen, there is a great difference between the compensation as awarded by the Courts below and the compensation payable as per law. We are constrained to observe that appeals to the High Court as well as to this Court were entirely avoidable, since the law had been amply clarified well before the order of the Tribunal was made on 17.10.2021 by way of the judgment rendered by this Court in ***Kajal*** (supra) decided on 05.02.2020. Both the Courts were duty-bound to keep abreast with the law as clarified by this Court, ensuring that the judgments and orders passed by them are entirely in order therewith.

15. For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on the matric of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court's interference, applying well-established principles of law."

8. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में भी आहत बालक को वक्त घटना कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 09.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी

दैनिक आय 249/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $249 \times 30 = 7,470/—$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 16 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 7,470/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,988/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 10,458/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के दाएं पैर में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के पैर की अंगुलियां कट गई हैं। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 45 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-29 के अवलोकन से स्पष्ट है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित 45 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रतिशत ही आंका गया है।

10. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276**, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion

of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

11. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह था तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता था। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

12. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-29 जिला चिकित्सालय, धौलपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में हम, अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-29 में अंकित 45 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 45 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 10,458/- रुपये का 45 प्रतिशत 4,706/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी बालक की आयु 16 वर्ष बताई गई है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **4,706 x 12 x 18 = 10,16,496/- रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 8 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 4,800/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी, परिवहन व्यय तथा पौष्टिक आहार की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 45,000/— रुपये, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में 45,000/— रुपये, परिवहन व्यय की मद में 10,000/— रुपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 10,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थी के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थी की दाएं पैर की अंगुलियां कट जाना जाहिर है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थी के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थी को 50,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. उक्तानुसार अपीलार्थी अजीतपाल निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	10,16,496 /— रुपये
2.	8 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	4,800 /— रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की कमी के मद में	45,000 /— रुपये
4.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की मद में	45,000 /— रुपये
5.	परिवहन एवं यातायात की मद में	10,000 /— रुपये
6.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /— रुपये
7.	विवाह की संभावनाओं की मद में	50,000 /— रुपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	11,81,296 /— रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	1,29,800 /— रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	10,51,496 /— रुपये

17. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी अजीतपाल को 1,29,800/— रुपये दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर 11,81,296/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है।

अपीलार्थिया कुमकुम उर्फ मंजू की हद तक:-

18. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.05.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया कुमकुम उर्फ मंजू को 10 वर्ष की आयु की बालिका होना बताया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा विद्वान अधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांकित 15.04.2021 के अनुसरण में स्थायी निर्योग्यता 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम होने पर 25,000/— रुपये एकमुश्त तथा 5,000/— रुपये प्रति एक प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर निर्धारित करते हुए भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में कुल 48,320/— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाई गयी है। किंतु मोटर वाहन दुर्घटना के उन मामलों में जहां बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती हो या वह आहत हो जाता हो, वहां उस बालक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किये जाने की सुस्थापित विधि है। ऐसी स्थिति में **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में भी आहत बालिका को वक्त घटना कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 09.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 249/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $249 \times 30 = 7,470/—$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थिया को 10 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 7,470/— रुपये

का 40 प्रतिशत 2,988/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थिया की कुल मासिक आय 10,458/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

19. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के दाएं पैर में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थिया के पैर में जकड़न व चमड़ी का विरूपण होना पाया गया है। अपीलार्थिया के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-30 के अवलोकन से स्पष्ट है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को कारित 15 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 7 प्रतिशत ही आंका गया है।

20. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-30 जिला चिकित्सालय, धौलपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में हम, अपीलार्थिया के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-30 में अंकित 15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। तदनुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 10,458/— रुपये का 15 प्रतिशत 1,569/— रुपये होता है जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया बालिका की आयु 10 वर्ष बताई गई है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **15 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **1,569 x 12 x 15 = 2,82,420/— रुपये** होती है जो अपीलार्थिया प्राप्त करने का अधिकारी है।

21. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को मेडिकल बिलों की मद में 2,320/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।
22. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी, परिवहन व्यय तथा पौष्टिक आहार की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 15,000/— रुपये, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में 15,000/— रुपये, परिवहन व्यय की मद में 5,000/— रुपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 5,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
23. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थिया की दाएं पैर में जकड़न व चमड़ी का विरूपण होना पाया गया। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थिया को 50,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
24. उक्तानुसार अपीलार्थिया कुमकुम उर्फ मंजू निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	2,82,420/— रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	2,320/— रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की कमी के मद में	15,000/— रुपये
4.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की मद में	15,000/— रुपये
5.	परिवहन एवं यातायात की मद में	5,000/— रुपये
6.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/— रुपये
7.	विवाह की संभावनाओं की मद में	50,000/— रुपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	3,74,740/— रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	48,320/— रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	3,26,420/— रुपये

25. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया कुमकुम उर्फ मंजू को **48,320/- रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **3,74,740/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है।
26. उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।
27. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
28. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण के अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाये जावें।
29. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
30. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J